संख्याः–560ईजी/23–5–13–24ई0जी0/13

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक : 11 जून, 2013

विषयः सिग्नेचर बिल्डिंग हेतु चयनित कार्यदायी संस्था को देय कन्सलटेंसी फीस का निर्धारण तथा निरीक्षण हेतु थर्ड पार्टी के चयन के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–8 के शासनादेश सं0–ई–8–157/दस–2013–1074/2012, दिनांक 12.02.2013, जिसके द्वारा राजकीय निर्माण एजेन्सियों के मानकीकृत एवं गैर मानकीकृत भवन निर्माण कार्यों की लागत सीमा का निर्धारण किया गया है, के प्रस्तर–3 के क्रम में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–8 के शासनादेश स0–ई–8–394/दस–2013–1074/2012, दिनांक 07.03.2013 द्वारा जारी आदेश में सिग्नेचर बिल्डिंग अथवा विशिष्ट भवन निर्माण कराये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0–ई–8–394/दस–2013–1074/2012, दिनांक 07.03.2013 के प्रस्तर–1(1) व प्रस्तर–1(6) के संदर्भ में चयनित कार्यदायी संस्था को कन्सलटेंसी फीस के निर्धारण तथा थर्ड पार्टी के चयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

(1) प्रदेश में भवन/परियोजनाओं हेतु बाह्य वास्तुविद् की सेवायें लेने पर वास्तुविद् को परियोजना लागत का 1.0 प्रतिशत (सर्विस टैक्स सहित) कन्सलटेंसी फीस के रूप में देय होगा। आर्कीटेक्ट द्वारा परियोजना निर्माण अवधि में कार्य स्थल का निरीक्षण किया जाता रहेगा। स्ट्रक्चरल डिजाइन हेतु 0.5 प्रतिशत (सर्विस टैक्स सहित) की धनराशि फीस के रूप में देय होगी। कार्यदायी संस्था को उनकी सेवाओं (आगणन गठित करना, टेण्डर करना, कार्य का निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण आदि) के लिये 1.00 प्रतिशत की धनराशि फीस के रूप में देय होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर कार्यदायी संस्था को कुल 2.50 प्रतिशत (सर्विस टैक्स सहित) की नियत् धनराशि देय होगी।

(2) गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निरीक्षण किये जाने तथा भुगतान की संस्तुति देने के लिये थर्ड पार्टी का चयन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के सहयोग से शासनादेश सं0–ई–8–394/दस–2013–1074/12, दिनांक 07.03.2013 के प्रस्तर–3 में अंकित मुख्य सचिव समिति द्वारा किया जायेगा। डिजाइन को अन्तिम रूप देने के समय ही निरीक्षण के लिये थर्ड पार्टी का भी चयन कर लिया जायेगा। थर्ड पार्टी का चयन प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य सचिव समिति से कराया जायेगा।

...../02..

(3) इस हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिष्ठित थर्ड पार्टियों का एक स्टैंडिंग पैनल तैयार किया जायेगा, जिसमें से आवश्यकता पड़ने पर बिना समय नष्ट किये हुए चयन किया जा सके। थर्ड पार्टी के पैनल का सृजन एक्सप्रेशन आफ इन्टरेस्ट आमंत्रित करते हुए बेवसाइट तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करके नियमानुसार किया जायेगा। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन थर्ड पार्टी के पास परियोजना हेतु उपलब्ध Manpower, समान कार्यो हेतु अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता आदि के आधार पर किया जायेगा। चयनित पैनल से किसी परियोजना विशेष के लिये स्वतन्त्र थर्ड पार्टी का चयन अन्तिम रूप से प्रशासकीय विभाग द्वारा विषयगत शासनादेश में अंकित मुख्य सचिव समिति से कराया जायेगा।

(4) चयनित थर्ड पार्टी को परियोजना की कुल लागत की 1.5 प्रतिशत धनराशि (सर्विस टैक्स सहित) फीस के रूप में देय होगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा निरीक्षण की विस्तृत कार्य प्रकिया तथा डाक्यूमेन्टेशन के मानक भी पूर्व से निर्धारित किये जायेंगे।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0—ई—8—2223 / दस—2013, दिनांक 11 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

/

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या—560(1)ईजी / 23—5—2013—तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2— प्रमुख अभियन्ता(विकास) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3— मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
4— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
5— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8— प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
9— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्राजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
10— निदेशक, कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्गाण सह0 संघ लि0(पैकफेड), लखनऊ।
12— लोक निर्माण विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।
13— वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।
14— गार्ड—फाईल।

आज्ञा से,

(सरोज कुमार यादव)
उप सचिव